संख्या–121 /XLII–1/2018–06(05)2010

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

विषयः–उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में सह आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के वेतनमान को संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का पत्रांक–2195/प्रशासन/2016 दिनांक 17.11.2016 एवं पत्रांक–9308/प्रशासन/2018 दिनांक 20.12.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा सह आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के वेतनमान को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–सं0शि0–158/XXIV–4/2011–6(5)–2010, दिनांक 27.06.2011 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार हेतु सृजित एसोसिएट प्रोफेसर (सीधी भर्ती) के वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन–8000/– को रू0 37400–67000, AGP–9000/– में निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्चीकृत किया जाता हैः–

(1) छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में यू0जी0सी0 से ग्रान्ट प्राप्त कर लेंगे तथा विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 के मानकों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार संशोधित/पुनरीक्षित किये गये वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जायेगा।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या–सं0शि0–158/XXIV–4/2011–6(5)–2010, दिनांक 27.06.2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–399/XXVII(7)/2018 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव(प्रभारी)।

क्रमशः 2...

संख्या– 921 (1)/XLII–1/2018–06(05)2010 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ देहरादून।
2. उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।
4. सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)

अनु सचिव।